हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14; और

(iii) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

(2) श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री
निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप), निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान वर्ग- III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014 दिनांक 02.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2015 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **114वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **115वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **116वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 225वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),
समिति का **48वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

(3) **श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8 वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री रविन्द्र सिंह, दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 को कांगड़ा केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"ज्वालामुखी में कुएं से मिला डाक्टर का शव"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री महेश्वर सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन सरकार की वर्तमान **'सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की नीति'** पर विचार करे।"

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 30 नवम्बर, 2015 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)